Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 211-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 4, 2017 (AGRAHAYANA 12, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 दिसम्बर, 2017

संख्या 2/12/2017–4 एफ. आर.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उप–नियम (4), (24), (67), (71), (82), (88), तथा नियम 112, 115, 116 तथा 145 में 'वेतनमान' शब्द जहां कहीं भी आए के स्थान पर, 'स्तर/वेतनमान' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 60 में, उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(4) खाना 6, पृथक् रूप से वेतन के विभिन्न घटकों को दर्शायेगा उदाहरणतया ''वृत्तिमूलक/ सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन 85,100 रुपये + महंगाई वेतन, यदि कोई हो, + विशेष वेतन 200 रुपये + वैयक्तिक वेतन 200 रुपये ।'' ।

4. उक्त नियमों में, नियम 117 में टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''टिप्पण 2.– प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वृत्तिमूलक स्तर–19 के नीचे या उसके समकक्ष किसी वेतन स्तर में वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता 2,19,600/– रुपये से अधिक नहीं होगा। जहां प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर धारित पद का स्तर 20 है, तो मूल वेतन, जमा समय–समय पर प्रतिनियुक्ति भत्ता 2,24,100/– रुपये से अधिक नहीं होगा।'' ।

5. उक्त नियमों में, नियम 132 में टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"टिप्पण.– अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान का पृथक रूप से भुगतान किया जाएगा जैसे कि ये लेखों के विभिन्न शीर्षों में जमायोग्य हैं। विदेश सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश की अवधि के लिए कोई अशदान भुगतानयोग्य नहीं होगा। किसी कारण से सरकार से वसूलीयोग्य देय, यदि कोई हो, इन अशदानों के विरुद्ध समायोजित नहीं होंगे।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 143 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"143. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति.– (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस मास, जिसमें वह उसके लिए या अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत, जैसी भी स्थिति हो, में उस द्वारा धारित पद के लिए विहित सेवानिवृत्ति की आयु पूरा करता है, के अन्तिम दिन को दोपहर बाद सेवा से सेवानिवृत्त होगा। तथापि, कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी जन्म तिथि मास की प्रथम तिथि है, विहित आयु पूरी करने पर पिछले मास के अन्तिम दिन को दोपहर बाद सेवा से सेवानिवृत्त होगा। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु सभी ग्रुपों के कर्मचारियों के लिए अठावन वर्ष है, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर, जिनकी साठ वर्ष हैः–

(i) न्यूनतम 70 प्रतिशत या अधिक की अशक्तता की डिग्री रखने वाले निःशक्त कर्मचारी;

(ii) नेत्रहीन कर्मचारी;

(iii) ग्रुप घ कर्मचारी; तथा

(iv) न्यायिक अधिकारी।

सिवाए लोकहित में तथा असाधारण परिस्थितियों में मंत्री परिषद् के अनुमोदन के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा।

टिप्पण 1.– एक आंख वाला कर्मचारी इस नियम के प्रयोजन के लिए नेत्रहीन या निःशक्त व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

टिप्पण 2.– जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा से अधिवर्षिता पर सेवा–निवृत्ति देय है; तो कार्यालय आदेश उस मास, जिसमें वह सेवानिवृत्त होने जा रहा है, की सात तारीख को जारी किए जाएंगे तथा प्रत्येक ऐसे आदेश की प्रति तुरन्त प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को प्रेषित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी जो उस समय निलम्बनाधीन है को बहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 3.– कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा के दौरान अशक्त हो जाता है तो 58 वर्ष की आयु पूरी करने से कम से कम तीन मास पूर्व अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा । उसे स्नातकोतर चिकित्सा तथा विज्ञान संस्था, रोहतक के चिकित्सा बोर्ड से इसके निदेशक की अध्यक्षता में परीक्षित करवाया जाएगा । बोर्ड से चिकित्सा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, ऐसे शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारी की सेवा में विस्तार प्रदान करने या न करने बारे अन्तिम निर्णय लेगा ।

(2) (क) स्वास्थ्य विभाग के एच.सी.एम.एस. चिकित्सक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी बशर्ते कि–

(i) वह समय समय पर सरकार द्वारा विहित पात्रता के अनुसार 58 वर्ष के आयु के बाद सेवा में रखने के लिए पात्र होना चाहिए; तथा

(ii) उसे 58 वर्ष की आयु के बाद की अवधि के दौरान केवल क्लीनिक्ल ड्यूटी करनी है।

(ख) यदि चिकित्सक 58 वर्ष के आयु के बाद क्लीनिक्ल क्षमता में कार्य करने की इच्छुक नहीं है तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृति ले सकता है परन्तु उसे 58 वर्ष की आयु पूरी करने से कम से कम तीन मास पूर्व लिखित में इसके लिए चुनना होगा ।

(3) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कोई भी प्रमुख अभियन्ता पुनः नियुक्ति के बिना पांच वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा, किन्तु पद पर पुनः नियुक्ति सामान्यतया तथा प्रत्येक मामले में पांच वर्ष की अनधिक ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जैसा सक्षम प्राधिकारी विनिश्चय करें:

परन्तु पुनः नियुक्ति की अवधि अधिवर्षिता की आयु पूरी करने की तिथि के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।

टिप्पण.– निम्नलिखित प्राधिकारी, अधिवर्षिता की आयु के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को रखने के लिए सक्षम हैं:–

अधिवर्षिता की आयु के बाद लोकहित में तथा असाधारण परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को रखने की शक्तियां	प्रशासकीय विभाग	मंत्री परिषद् के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन सम्पूर्ण शक्तियां

7. उक्त नियमों में, अनुबन्ध 4 में, –

(i) ''प्ररूप भाग–IV'' में खाना 6 के ऊपर प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''वेतन स्तर या वेतनमान तथा वेतन''

(ii) प्ररूप भाग–IX में, ''सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के **लिए हिदायतें'' शीर्ष के नीचे, खण्ड 4 में, उप–खण्ड (4)** के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(4) खाना 6 पृथक् रूप से वेतन के विभिन्न घटकों को दर्शायेगा अर्थात् ''वृत्तिमूलक/सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन 85,100 रुपये + महंगाई वेतन ..... + विशेष वेतन 200 रुपये + वैयक्तिक वेतन 200 रुपये ''।

8. उक्त नियमों में, अनुबन्ध–10 में, पैरा 3 में, 'ग्रेड वेतन' शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, 'स्तर' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पि० राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 4th December, 2017

No. 2/12/2017-4FR.— In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Civil Services (General) Amendment Rules, 2017.

2. In the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 (hereinafter called the said rules), in rule 8, in sub-rule (4), (24), (67), (71), (82), (88) and in Rule 112, 115, 116 and 145, for the words "pay scale" wherever occurring the words "level/pay scale" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 60, for sub-rule (4) the following shall be substituted namely :-

"(4) Columns 6 shall show different components of pay separately, e.g. "Pay Rs. 85,100 in Functional/ACP Level+ Dearness Pay, if any + Special Pay Rs. 200 + Personal Pay Rs. 200."

4. In the said rules, in rule 117, for Note 2, the following shall be substituted, namely :-

"Note 2.— *During the period of deputation or foreign service, the basic pay plus deputation allowance of Government employee while drawing pay in any pay level lower than or equal to functional level 19, shall not exceed Rs. 2,19,600/-. Where the post held on deputation or foreign service is of Level 20, the basic pay, from time to time, plus deputation allowance shall not exceed Rs. 2,24,100."*

5. In the said rules, in rule 132, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

"Note.— *The leave salary and pension contributions shall be paid separately as these are creditable to different heads of accounts. No contribution shall be payable for the period of leave availed by the Government employee while on foreign service. Dues, if any, recoverable from Government on any account shall not be set off against these contributions."*

6. In the said rules, for rule 143, the following rule shall be substituted, namely:-

"143. Retirement on superannuation.— (1) Except as otherwise provided in these rules, every Government employee shall retire from service on afternoon of the last day of the month in which he attains the age of retirement prescribed for him or for the post held by him in substantive or officiating capacity, as the case may be. However, a Government employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the prescribed age. The age of retirement on superannuation is fifty eight years for all groups of employees except the following for whom the same is sixty years:-

(i) Differently-abled employees having minimum degree of disability of 70% and above;

(ii) Blind employees;

(iii) Group 'D' employees; and

(iv) Judicial Officers.

No Government employee shall be retained in service after attaining the age of superannuation, except in public interest and in exceptional circumstances, without the approval of Council of Ministers.

Note 1.— *One eyed employee shall not be treated as blind or differently-abled person for the purpose of this rule.*

Note 2.— *When a Government employee is due to retire on superannuation from service an office order shall be issued on 7th of the month in which he is going to be retired and a copy of every such order shall be forwarded immediately to the Principal Accountant General, Haryana. There is no need to re-instate a Government employee who is under suspension at that time.*

Note 3.— *A Government employee who becomes disabled while in service shall bring to the notice of his Head of Department minimum three months before attaining the age of 58 years. He shall be got examined from a Medical Board of the Post Graduate Institute of Medical and Science, Rohtak to be headed by its Director. On receipt of medical report from the Board, the appointing authority or the Head of Department, whichever is higher, shall take a final decision to grant or not to grant the extension in service to such physically disabled employee.*

(2) (a) The age of retirement on superannuation of HCMS Doctor of Health Department shall be 65 years provided—

(i) he should be eligible to be retained in service beyond 58 years as per eligibility criteria prescribed by Government from time to time; and

(ii) he has to perform only clinical duties during the period beyond the age of 58 years

(b) If a doctor does not wish to work in clinical capacity beyond the age of 58 years he may seek voluntary retirement provided he opt for it in writing minimum three months before attaining the age of 58 years.

(3) No Engineer-in-Chief in the PWD (B & R), Irrigation Department and Public Health Engineering Department shall, without re-appointment, hold the post for more than five years, but re-appointment to the post may be made as often and in each case for such period not exceeding five years, as the competent authority may decide:

Provided the term of re-appointment shall not extend beyond the date of attaining the age of superannuation.

Note.— *The following authorities are competent to retain a Government employee after the age of superannuation:-*

Powers to retain a Government employee in public interest and in exceptional circumstances after the age of superannuation.	Administrative Department	Full powers subject to a maximum of two years with the approval of Council of Ministers.

7. In the said rules, in Annexure-4,—

(i) in Form Part-IV, for entries above column 6, the following entries shall be substituted, namely :-

"Pay Level or Pay Scale and Pay"

(ii) in Form Part-IX, under heading **'Instructions for entries in Service Book'** in clause 4, for sub-clause (4), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(4) Columns 6 shall show different components of pay separately, e.g. "Pay 85,100 in Functional/ ACP Level + DP ____ + Special Pay Rs. 200 + Personal Pay Rs. 200."

8. In the said rules, in Annexure-10, in para 3, for the words 'Grade Pay' wherever occurring the words 'Level' shall be substituted.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

55842—C.S.—H.G.P., Chd.